



2026:AHC:178958

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 4911 वर्ष 2026

दीपक कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: सतीश शर्मा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने 27.05.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश शर्मा और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और समय मांगा गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग की है।

4. वर्तमान आवेदन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रकरण अपराध संख्या 300 वर्ष 2024, थाना- लालपुर/पांडेयपुर, जिला- वाराणसी में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए जाली मुद्रा के एक अकेले प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज की है। मूल प्रकरण में अभियुक्त आवेदक जमानत पर है। इस न्यायालय ने रिट याचिका के माध्यम से अभियुक्त आवेदक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिसके चलते विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। मूल प्रकरण में दर्ज आपराधिक इतिहास के अलावा अभियुक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त आवेदक विवेचना में सहयोग करना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है।

6. अग्रिम जमानत के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन दूरदर्शी निर्णयों में समाहित किया गया है, जिनमें गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 और सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1 शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

7. इस न्यायालय ने दलीलों, आरोप की गंभीरता और प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका पर विचार करते हुए, साथ ही भागने के कम जोखिम और विवेचना और मुकदमे में सहयोग करने के आरोपी के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम जमानत देने का उचित निर्णय लिया है।

8. उपर्युक्त प्रकरण में आरोपित दीपक कुमार इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और



उन्हें अगली निर्धारित तिथि तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (v) आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत के मद्देनजर विवेचना अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. इस प्रकरण को 24.8.2026 को सूचीबद्ध करें।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली तिथि तक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।”

2. आज जब प्रकरण की सुनवाई हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्ववर्ती आदेश में दर्ज दलीलों को दोहराया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सह-आरोपी चंदन सैनिक को इस न्यायालय द्वारा **अग्रिम जमानत** संख्या 4741 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का प्रकरण सह-आरोपी चंदन सैनिक के प्रकरण के समान ही है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि आवेदक का प्रकरण सह-आरोपी चंदन सैनिक के प्रकरण के बराबर है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदक मूल प्रकरण में जमानत पर है। रिट याचिका के तहत विवेचना के दौरान इस न्यायालय द्वारा आवेदक को संरक्षण प्रदान किया गया था। अब इस प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक का मूल प्रकरण के अलावा कोई अन्य आपराधिक अभिलेख नहीं है। आवेदक पहले से ही अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और उस पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। आवेदक का प्रकरण सह-आरोपी चंदन सैनिक के समान है, जिसे इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. यदि आवेदक- **दीपक कुमार** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत प्रकरण अपराध संख्या 300 वर्ष 2024 में थाना- लालपुर/पांडेपुर, जिला- वाराणसी में दिनांक 27.05.2026 के पूर्ववर्ती आदेश में निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार वर्तमान अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

24 अगस्त, 2026

ए. पांडे